

ID-196/17

ज० सू० अ० मामला/त्वरित

कार्यालय उपायुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी,

कार्यालय पता - आठवा तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं./चाबीस/29/विशेष/ID-4122/2017/

ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

सेवा में,

29578-62 9/8/17



समस्त जन सूचना अधिकारी,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली/नई दिल्ली

श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए दाखिल आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) में स्थानान्तरित करने के सन्दर्भ में ।

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के तहत संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 03.08.17 जो कि श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 के द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 07.08.17 को प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि इस पत्र की विषय वस्तु का संबंध आपके कार्यालय से है । इसलिए आवेदक के आर०टी०आई० आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत आपको इस आशय से स्थानान्तरित की जा रही है कि आप अपने कार्यालय से सम्बंधित वांछित सूचना निर्धारित समय-अवधि के दौरान सौध आवेदक को भेजने का कष्ट करेंगे । आवेदक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित शुल्क 10/- रूपए वाया नकद/भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 38F 242023 of Rs 10/- के रूप में इस कार्यालय में जमा कर दिए हैं ।

यदि वांछित सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो कृपया आवेदक के आवेदन पत्र को सबसे निकटतम सम्बंधित जन सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर दें ।

भवदीय,

[मीना नायडू]

सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्सट.30079

संलग्न-यथाउपरोक्त

सं./चाबीस/29/विशेष/ID-4122/2017/

ज०सू०अ० सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. श्री जीशान हैदर, 32/454, ब्लाक-32, त्रिलोक पूरी, दिल्ली-110091 को सूचनार्थ व यदि आपको उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से 30 दिन की समय-अवधि के अन्दर जवाब नहीं मिलता या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो कृपया अपनी प्रथम अपील उसके पथम अपीलीय अधिकारी के सम्मुख दायर करें
2. लेखाकार/पुलिस मुख्यालय को भारतीय पोस्टल ऑर्डर उपरोक्त मूल्य 10/- के सहित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

961/RTI (CU)/3rd Bn.
10/8/17

DCP-III Bn.	AL
ACP/HQ	
Insp./Admn.	2
Head Clerk	
Branch	110091 CU

[मीना नायडू]

सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्सट.30079

No. 1409-10 RTI call for info DAP, dt 10/08/2017
Copy for providing reply within
2 days to 3 Acct./Bn. 2. HAA/30 Bn.
10/8/17



PUBLIC PROTECTION MOVEMENT ORGANIZATION (REGD.)

(A NATIONAL NGO) Regd. No. 374/2011

HEAD OFFICE : 32/454, BLOCK-32, TRILOK PURI, EAST DELHI-110091 - PH.: 011-22710493

REF. No. PPMO/... 24K/110... R.P. 2017/10 No. 580 DATE 3-8-2017

Mob. 9990576593

सेवा में
जन सूचना अधिकारी
दिल्ली पुलिस मुख्यालय एम.एस.ओ, गान्धी
बाग दिल्ली-110002

विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत
आवेदन।

(1) दिल्ली पुलिसकैशमीर विभा व इन्फान्ट्री में किस पद तक के पुलिसकर्मी व अधिकारी को सरकारी मोबाइल की सेवा उपलब्ध है? तथा किस पद तक के अधिकारी को सरकारी मोबाइल के लिए साहवार कितनी राशि दी जाती है? या कितनी राशि तक की साहवार मोबाइल के लिए खर्च कर सकते हैं निरोहक से लेकर पुलिस आफिसर तक की लिस्ट बताई जाये?

(2) जनवरी 2012 से 30 जुलाई 2017 तक मोबाइल के रिचार्ज पर कितनी राशि खर्च की गई सभी इन्फान्ट्री को वर्षवार विस्तार पूर्वक कपीय दिया जाये।

(3) जनवरी 2012 से 30 जुलाई तक कितने गैप मोबाइल सरकारी खरीदे गए कितनी राशि के किस कंपनी के खर्च कर सकते हैं निरोहक से लेकर पुलिस आफिसर तक का विस्तार पूर्वक कपीय दिया जाये।

(4) जनवरी 2012 से 30 जुलाई 2017 तक सभसे इन्फान्ट्री में कितने सरकारी मोबाइल खराब हुए

(2)



PUBLIC PROTECTION MOVEMENT ORGANIZATION (REGD.)

(A NATIONAL NGO) Regd. No. 374/2011

HEAD OFFICE : 32/454, BLOCK-32, TRILOK PURI, EAST DELHI-110091 - PH.: 011-22710493

REF. No. PPMO/.../2017/10.No.580 DATE...2017...

Mob.: 9990576593

तथा अकाउंट को इसका अधिकार विस्तार पूर्वक दे दिया जाए।

(5.) जनवरी 2012 से 30 जुलाई 2017 तक दिल्ली पुलिस की सभी अकाउंटों में अधिकारियों के सरकारी मोबाइल पर 24 घण्टा तक कितनी राशि खर्च हुई अधिकार इसका विस्तार पूर्वक कर दिया जाए।

(6.) दिल्ली पुलिस के सरकारी मोबाइल में इंटर नेट इस्तेमाल के लिए माहवार कितनी राशि दी जाती है तथा कितनी राशि तक का इंटर नेट इस्तेमाल कर सकते हैं गिरीशक से लेकर पुलिस आयुक्त तक की अधिकार अंतरित जाए।

(7.) जनवरी 2012 से 30 जुलाई 2017 तक सभी अकाउंटों में सरकारी मोबाइल में इंटर नेट पर कितनी राशि खर्च की गई इसका अधिकार विस्तार पूर्वक कर दिया जाए।

आशीष या जयका राजा आधिनियम 2000 के तहत दिल्ली गवर्नर के पास है।

अधिकारी

Zeeshan Haider
ZEESHAN HAIDER
DIRECTOR